न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 07/16 उपनिवेशन विविध

जयराम पुत्र रणवीर सिंह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टीब्बी जिला हनुमानगढ़

—प्रार्थी

: ब ना म :

1. जोधाराम पुत्र तेजाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 1 बी.डी. ए तहसील कोलायत नंबर1 जिला बीकानेर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, उपनिवेशन तहसील कोलायत नंबर 1 मु. कोलायत

—अप्रार्थीगण

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामचन्द्रसिंह भाटी ।
2. अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल रामावत।
3. स्टेट की और से उनके विभागीय प्रतिनिधि ।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 17.07.19

प्रार्थी द्वारा यह प्रकरण दिनांक 18.07.11 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.1 में चक 1 बीडी ए में मु.नं. 152/36 के किला नं. 1 ता 24 में 24 बीघा भूमि हाफिज मोहम्मद पुत्र नसीर खां जाति मुसलमान निवासी गजनेर के नाम बतौर भूमिहीन आवंटन थी। किला नं. 25 में 1 बीघा अराजीराज भूमि थी जिसे छल कपट से दिनांक 19.04.2010 अप्रार्थी सं. 1 ने स्मॉल पेच में आवंटन करवा लिया। अतः आवंटन आदेश दिनांक 19.04.10 निरस्त किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही की जावे।

2. अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से गिरधारी लाल रामावत अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

3. तदन्तर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि हाफिज मोहम्मद ने उपरोक्त खातेदारी भूमि इन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति राजपूत निवासी पुरानी गिन्नाणी के विकय कर दी। इन्द्रसिंह ने दिनांक 30.03.2010 को जरिये ईकरारनामा मदनलाल पुत्र जयनारायण सियाग को विकय कर दी। दिनांक 29.03.10 को अप्रार्थी सं.1 जोधाराम पुत्र तेजाराम जाति विश्नोई ने किला नं. 25 रकबा 1बीघा भूमि स्मॉल पेच के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसील प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हाफिज मोहम्मद की ओर से जोधाराम ने छल कपट से 10 रू. का स्टाम्प खरीद कर हाफिज मोहम्मद के फर्जी हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की जिसके आधार पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने बिना किसी जांच के 19.04.2010 को अराजी मुतनाजा भूमि अप्रार्थी सं. 1 को स्मॉल पेच में आवंटित कर दी। अप्रार्थी सं. 1 ने आवंटन अधिकारी को गुमराह कर भुमि आवंटन करायी है जो कानूनन विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 19.04.2010 को निरस्त किया जाकर फौजदारी कार्यवाही के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता की लिखित बहस है कि आवंटन नियम 1975 के नियम 22(3) में आवंटन अधिकारी द्वारा नियमो के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो अपने प्रस्ताव पर अथवा किसी व्यक्ति के आवेंदन पर उस स्थिति में निरस्त करने की शक्तियां होगी जहां आवंटन नियमो के विपरित किया गया हो। अप्रार्थी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन से कोई पक्षकार प्रभावित नहीं था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 22(3) में कवर नहीं करता है। कथनो के समर्थन में आर.आर.डी.1998 पेज 658, आर.आर.टी.2003(1) पेज 227, आर. आर.टी.2005(2) पेज 1195, आर.आर.टी.2006(2) पेज 817, आर.आर.टी.2001 पेज 1001 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। विद्वान वकील अप्रार्थी की यह भी बहस है कि श्री हाफिज मोहम्मद को आवंटित रकबा सीएडी स्कीम से चक 1आरएम से 1 चक बीडी ए में आ गयां। रकबा अनकमाण्ड से कमाण्ड हो गया। कमाण्ड होने के पश्चात मु.नं. 152/36 की 21 बीघा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड हो गयी जिसकी अंतर राशि बकाया चल रही है। प्रार्थी ने यह रकबा जरिये बैयनामा खरीद बताया है। प्रथम दृष्टया बैयनामा फर्जी है क्योंकि खातेदारी अधिकार प्राप्त किये बिना रकबा विक्रय करना नियमो के विरूद्ध है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बदनियती लागबाजी व अनावश्यक तंग करने व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर प्रार्थी को दण्डित किया जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रकरण में उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं. 1 से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्राप्त रिपोर्ट में श्री हाफिज मोहम्मद को आवंटित भूमि की खातेदारी जरिये सनद संख्या 000231/34 दिनांक 23.06.92 के द्वारा दी गयी, अवगत कराया गया है। टीआरए रिपोर्ट में अंतर राशि वसूल नहीं होना अंकित किया है। खातेदारी का अंकन खाते में नही हुआ है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थीगण को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में कोई तथ्य व ठोस आधार का उल्लेख नहीं किया है अथवा आवंटन नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंधन तो नहीं हुआ के बाबत विस्तृत जांच लैण्ड होल्डर तहसीलदार, कोलायत नं. 1 द्वारा नहीं की गई है। प्रकरण में विस्तृत जांच करवाई जाना हम न्यायोचित समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जा कर प्रकरण तहसीलदार (राजस्व), कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत जांच करे। दौरान ए जांच प्रकरण में नियम 22(3) अथवा अन्य प्रावधानों का उल्लंधन हुआ है तो बिना विलम्ब के प्रकरण नियमानुसार सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करें।

7. निर्णय आज दिनांक **17.07.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,
जिला कलक्टर, बीकानेर

न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Date: 2019.11.29 13:49:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: